"श्री मोदन सेन जी महाराज की जय"

सर्वें   संघे शक्ति कलयुगे   सर्वं सुखाय

कान्य कुब्ज बैश्य हलवाई संघ राँची

स्थापित—१९६८

"योगः कर्मसु कौशलम्

स्मारिका

(प्रथम)

राँची मई—१९८८

कान्य कुब्ज बैश्य हलवाई संघ, राँची

संविधान

राँची आमसभा में सर्वसम्मति से पास कियागया

धारा १—नाम— इस संस्था का नाम कान्य कुब्ज वैश्य हलवाई संघ; होगा।

धारा २ (क) ध्वज— इस संघ का ध्वज-रंग केशरिया तिकोना, तथा लाल रंग के चिह्न महर्षि मोदनसेन की जय का होगा।

(ख) मुख्यालय :— इम संघ का मुख्यालय, इस संघ के सचिव के निवास स्थान पर होगा जब तक संघ का स्थायी भवन नहीं होता।

धारा ३ (क) उद्देश्य :— राँची क्षेत्र के अन्तर्गत सभी स्वजातीय भाईयों का संगठन करना।

(ख) समाज के अन्दर जो कुरीतियां एवं कठिनाईयां आ गई है उनको हटाना तथा इसके लिये आवश्यक कार्य करना।

(ग) सामाजिक, आर्थिक, नैतिक स्तर को उन्नत करना।

(घ) स्वजातीय असहाय भाइयों एवं अबलाओं को यथा योग्य सहायता पहुचाना।

(ङ) समाज में शिक्षा का प्रसार करना।

(च) शुद्ध सामग्री द्वारा तैयार किये हुए खाद्य पदार्थों के व्यवसाय को प्रोत्साहन देना।

(छ) सामाजिक गुत्थियों को सुलझाने के लिये आवश्यक नियम बनाना और समाज के अन्तर्गत लागू करना।

(ज) समाज के पिछड़े भाइयों में सुधार लाना और उन्हें अपनाना।

धारा—४. इस संघ का कार्यकारी वर्ष अप्रैल से ३१ मार्च होगा।

धारा—५. सदस्यो की योग्यता, बनने की विधि, कर्त्तव्य एव अधिकार :-

(क) प्रत्येक स्वजातीय बंधु संघ द्वारा प्रमाणित आवेदन पत्र पर प्रवेश शुल्क ११।- रुपया के साथ संस्था के सचिव को अपने हस्ताक्षर सहित आवेदन करेंगे।

(ख) प्रत्येक सदस्य को अपनी सदस्यता शुल्क के रूप में ५। रुपया मासिक देना होगा।

(ग) प्रत्येक सदस्य को वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित होकर अपने विचार तथा निर्वाचित के समय उसमे भाग या मत देने की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी।

धारा—६-निर्वाचन (क) इस संघ के पदाधिकारियों एवं कार्यसमिति का चुनाव संघ द्वारा आम सभा के समय वर्ष के अन्त में एक बार हुआ करेगा। विशेष परिस्थितियों में रिक्त स्थानों के लिये बीच में भी हो सकता है जो कार्यकारिणी द्वारा होगा।

(ख) यदि निर्वाचन के समय किसी पद या कार्यकारिणी समिति की सदस्यता के लिये उम्मीदवारों की संख्या निर्धारित संख्या से अधिक होगी तो उसका निर्वाचन परिस्थिति अनुसार खुले या गुप्त मतदान द्वारा होगा।

धारा—७-पदाधिकारी कर्त्तव्य एवं अधिकार :-

१। इस संस्था के कार्य-संचालन के लिये निम्नलिखित पदाधिकारी होगें।

क) प्रमुख—१ ख) अध्यक्ष—१ ग) उपाध्यक्ष—१ घ) सचिव—१ ङ) उपसचिव—१ च) कोषाध्यक्ष—१ छ) सह-कोषाध्यक्ष - १ ज) आय-व्यय निरीक्षक—१ झ) कार्यकारिणी अध्यक्ष—१ ञ) प्रचार मंत्री—२ प) भंडार पाल—१

(क) प्रमुख—१

उचित सलाह एवं जन संम्पर्क।

(ख) अध्यक्ष :- १। प्रत्येक आम बैठकों की अध्यक्षता एवं विधानुसार सभा की कार्य का संचालन (२) किसी विवादास्पद प्रश्न पर मत बराबर हो तो अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देकर उसका निर्णय कर सकते हैं।

(ग) उपाध्यक्ष :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का वहन करेगें।

(घ) सचिव :- १। संस्था के संचालन का पूरा दायित्व उसके उद्देश्यों, कार्य समिति के आदेशों और स्वीकृत प्रस्तावों को कार्य रुप में कार्यान्वित करने की जिम्मेवारी। समस्त लिखापढ़ी का भार तथा गठित उप-समितियों के कार्य में सहयोग देना।

[ङ] उप सचिव :- १। सचिव की अनुपस्थिति में उनके सारे दायित्वों का वहन।

२। सचिव की सुविधा हेतु उनके कार्यों में सहयोग देना।

[च] कोषाध्यक्ष :- १। संस्था के संचित धन को सुरक्षित रखना।

२। सचिव की सहायता से आय-व्यय का ब्योरा लिखना तथा रखना।

३। वार्षिक आम-सभा तथा कार्य समिति में सचिव की सहायता से सभा के कामों में रुपये व्यय करने के लिये आगामी वर्ष की आय व्यय का ब्योरा देना।

[छ] सह-कोषाध्यक्ष- कोषाध्यक्ष को सहयोग देना।

[ज] आय व्यय निरीक्षक :- संस्था में वर्ष भर में व्यय किये गये धन के पूरे हिसाब की वर्ष में एक बार जाँच करना [विशेष परिस्थिति में बीच में भी कर सकते है) यदि उसमें कोई त्रुटि आ पड़े तो आय-व्यय पुस्तिका पर उन त्रुटियों की व्याख्या सहित आवश्यक टिप्पणी देना तथा उसकी सूचना अध्यक्ष, सचिव, कार्य कारिणी समिति को देना।

(ज) कार्यकारिणी अध्यक्ष :- सभा के उद्देश्यों तथा उसके कार्यो कार्य कारिणी समिति के आदेशों, प्रस्तावों कामनियोजित ढंग से स्वजाति बंधुओं में प्रचार करना। कार्यकारिणी सभा की अध्यक्षता करना एवं विधान सभा के कार्य का सचालन करना।

(त) प्रचार मंत्री :- १) सचिव के कार्यालय को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिये।

२। सचिव के संवादों को सभी स्वजाति बंधुओं तक प्रचार करना। संघ के सभी पदाधिकारीगण को निम्नविवरण देना अनिवार्य है तथा उन सभी लोगों को उपस्थित होना भी अनिवार्य है।

(प) भंडारपाल १ :- संघ की सम्पति को सुरक्षित रखना तथा नियमानुसार सभी सामानों का निर्गत एवं सग्रह करना।

धारा ८ :- कार्यकारिणी समिति एवं उसका अधिकार :—

१। सभा के कामों को सुचारु रुप से चलाने के लिये सभा की एक कार्यकारिणी समिति होगी जिसके सदस्यों की संख्या 'पदाधिकारियों सहित २१ होगी जिसका निर्वाचन आम सभा द्वारा होगा।

२। सभा को विधानुसार संगठित करने का पूर्णदायित्व।

३। सभा के प्रत्येक अधिकारियों के कार्यों की देख रेख में सभा के कार्यों की अग्रसार करने के लिये अधिकारियों के निर्देश देना और कार्य-संचालन, विषयक कठिनाइयों को दूर करना।

४। वार्षिक सभा में उपस्थित किये जाने वाले प्रस्तावों, कार्य क्रमों तथा वार्षिक व्यय पर विचार करना।

५। कार्य समिति परिस्थितिनुसार विधान की रक्षा करती हुई नोति निर्धारण में स्वतंत्र होगी।

६। कार्य समिति में ऐसे भी व्यक्ति विशेष निमंत्रित पर बुलाये जा सकते है जो कार्य समिति के सदस्य नहीं है पर ये मत देने के अधिकारी नहीं होंगे। स्वजाति के हित में प्रस्ताव रख सकते है।

७। कार्य समिति की बैठक वर्ष में कम से कम छव बार अवश्य हुआ करेगी जो बारी-बारी से प्रत्येक कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के निवास स्थान पर हुआ करेगी।

८। यदि कार्य समिति की बैठक निर्धारित समयों में सचिव बिना किसी कारण नहीं बुलाते हैं तो कार्यकारिणी समिति के ६ सदस्य अपने हस्ताक्षर से बैठक बुला सकते हैं।

९। कार्यकारिणी समिति के सदस्य यदि किसी पूर्व सूचना को लगातार तीन बैठकों में उपस्थित नहीं होंगे तो वे समिति की सदस्यता से वंचित समझे जायेंगे एवं उनके रिक्त स्थान की पूर्ति कार्यकारिणी समिति दूसरे सदस्यों से निर्वाचन कर लेगी।

१०। सचिव एवं कार्यकारिणी अध्यक्ष को कार्यकारिणी समिति के बैठक को निर्धारित तिथि से ८ दिन पूर्व विचारणीय कार्यक्रमों की सूची के सदय देना अनिवार्य होगा। परिस्थिति विशेष में ३ दिन पूर्व भी दे सकते हैं।

११। कार्यकारिणी समिति की बैठकों का कोरम सदस्यों की संख्या का एक चौथाई एवं पदाधिकारीगण होगा।

धारा ९ :- उपसमिति, कर्त्तव्य एवं अधिकार :—

१। आम सभा एवं कार्यसमिति समय-समय पर विशेष कार्यक्रमों की पूर्ति के लिये उस समिति का भी गठन कर सकता है।

२। उपसमिति जिस कार्य के लिये गठित की जायेगी वह समिति उस कार्य सम्पादन के प्रति स्वतन्त्र होगी तथा कार्य समिति के समक्ष उत्तरदायी होगी। कार्यकारिणी बैठक के ७ दिन पहले सचिव को सुचना दे कि कार्य को कहाँ तक सफलता मिली।

धारा ९ :- सम्पत्ति एवं कोष :—

१। अपनी उद्देश्य पूर्ति के लिये संस्था प्रत्येक वैध उपायों से चल एवं अचल सम्पति एकत्रित कर सकता है।

२। संस्था के कोष की व्यवस्था निम्न प्रकार होगी :—

(क) मासिक सदस्यता शुल्क।

(ख) विशेष शुल्क।

(ग) समय-समय पर किये गये विशेष चन्दे।

३। कोषाध्यक्ष के पास कार्यालय व्यय तथा किसी अन्य कार्यों के व्यय के लिये २००। दो सौ रुपये सदा निश्चित तौर पर रहेगा। जो भी चन्दा हो २०० रुपये के अतिरिक्त उसे किसी निश्चित बैंक में जमा कर देना होगा।

४। बैंक खाता सचिव और कोषाध्यक्ष के व्यक्तिगत बचत सह खाता के नाम से खोला जायेगा।

५। बैंक चेक पर सचिव और कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर होगें।

६। दो सौ रुपये से अधिक व्यय के लिये कार्यकारिणी समिति की राय लेना अनिवार्य होगा।

७। दो सौ रुपये के बाद जो रुपये बचेगें वह बैंक खाता में जमा हो जायेगा अगर कोषाध्यक्ष के पास रखे दो सौ रुपये में से कुछ या पूरा व्यय हो तो वे बैंक से सचिव के साथ दो सौ रुपये या कम ही रहे रकम निकाल कर अपने पास दो सौ रुपये रख सकते हैं।

धारा १० :-संविधान की रद्दो बदल या जोड़ने का प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के द्वारा की जायेगी जिसकी मान्यता आम सभा के द्वारा होगी

धारा ११-संघ अपने उद्देश्यों एवं मत के प्रचार के लिये समय-समय पर पुस्तक एवं पत्र पत्रिकायें भी प्रकाशित कर सकती है।

धारा १२-यदि किसी सदस्य या स्वजाति बन्धु को किसी प्रकार का प्रस्ता या योजना उपस्थित करनी हो तो वह सदस्य उस प्रस्ताव की प्रतिलिपि आ सभा बैठक की निर्धारित तिथि से १५ दिन पूर्व तथा कार्यकारिणी समि बैठक के ७ दिन पूर्व सचिव को देना अनिवार्य होगा।

धारा १३-सभी सदस्यों को आम सभा बैठक मे आना अनिवार्य होगा।

धारा १४ :-१। वार्षिक महाधिवेशन एवं विशेष उत्सवों का कार्यक्रम, ति प्रस्ताव प्रतिनिधि संख्या, कोई विशेष बात आदि कार्य समिति द्वारा निर्धा होगी तथा वार्षिक महाधिवेशन का प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति द्वारा होगी।

२। वार्षिक तथा विशेष अधिवेशन की पूर्ण व्यवस्था का भा कार्यकारिणी समिति पर होगी तथा वह जो प्रतिनिधि (सदस्य) शुल्क निर्धारि करेगी वह शुल्क प्रत्येक प्रतिनिधि (सदस्य) को देना अनिवार्य होगा।

३। प्राप्त प्रतिनिधि शुल्क की राशि की वार्षिक या विशे अधिवेशन की व्यवस्था पर खर्च की जायेगी (खर्च करने के बाद जो राशि ब जायेगी वह संघ बैंक खाता में जमा कर दिया जायेगा। अगर प्राप्त राशि से अधिक खर्च होगा तो उस खर्च का वहन संघ करेगी।

कान्य कुब्ज वैश्य हलवाई संघ, राँची
नियमावली

कान्य कुब्ज वैश्य हलवाई सघ की स्थापना आपस में स्वजाति बन्धुओं के बीच एकता, स्वभाव तथा प्रेम स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है।

सघ में ११ रुपया सदस्यता शुल्क तथा अध्यक्ष के नाम एक आवेदन पत्र देकर सदस्य बन सकये हैं। प्रति माह ५।- माहवारी चन्दा तथा समय-समय पर अतिरिक्त विशेष चन्दा लिया जायगा।

संघ में चुनाव सभी सदस्यों के बीच वर्ष में एकबार सम्पन्न होगा। सन् अप्रील से मार्च तक होगा/मार्च के अन्तिम सप्ताह में चुनाव होगा।

जिसके निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :—

१) प्रमुख-१

२) अध्यक्ष-१

३) उपाध्यक्ष-१

४) सचिव-१

५) सह सचिव

६) कोषाध्यक्ष-१

७) सह कोषाध्यक्ष-१

८) प्रचार मंत्री-२

९) भंडार पाल-१

१०) कार्यकारिणी अध्यक्ष-१

११) कार्यकारिणी के ११ सदस्य

संघ की आम सभा मार्च, जुलाई, तथा नवम्बर माह में होगा। तथा कार्यकारिणी की बैठक दिसम्बर फरवरी अप्रील जून, अगस्त तथा अक्टूबर माह में होगी। तिथि का निर्णय पहले सभा में कर दी जायगी। आम सभा एक निश्चित स्थान तथा कार्यकारिणी की बैठक बारी-बारी से सभी सदस्यों के निवास स्थान पर हुआ करेगी।

सभी सदस्यों को सूचना प्रस्ताव के साथ निश्चित तिथि के एक सप्ताह पूर्व सभी सदस्यों को सूचित कर देना होगा।

यदि कोई सदस्य अपना प्रस्ताव देना चाहे तो वह सचिव, अध्यक्ष या कार्यकारिणी अध्यक्ष को दो व्यक्तियों के प्रस्तावना के साथ लिखित आवेदन पत्र दें। प्रस्ताव का निर्माण अध्यक्ष, सचिव एवं कार्यकारिणी अध्यक्ष करेंगें।

शुभ विवाह के उपलक्ष्य में वर पक्ष से न्यूनतम १०१। तथा कन्या पक्ष से न्यूनतम ५१।- विशेष चन्दा लिया जायगा तथा संघ एक प्रमाण पत्र निर्गत करेगी। वर पक्ष का तिलक के समय तथा कन्या पक्ष का बारात के दिन प्रमाण पत्र निर्गत किया जायगा। विवाह, के अवसर पर दी जाने वाली प्रीति भोज, स्वजाति बन्धु द्वारा निर्मित पदार्थ (कच्ची रसोई) अपने ही स्वजाति बन्धु द्वारा परोसा जायगा तथा सभी बन्धुगण एक साथ पातिया में बैठ कर भोजन ग्रहण करेगें। स्थान का अभाव होने पर ही टेबुल कुर्सी का प्रयोग किया जा सकता है। दशकर्म में भी दी जानेवाली भोज में भी उक्त नियम लागू होगें।

शुभ कार्य एवं गमी कार्य पर एक ही बार प्रतिभोज का आयोजन किया जायगा। अपने सामर्थ के अनुसार ही स्वगति बन्धुओं को निमन्त्रण दे सकते हैं। संघ के सभी पदाधिकारियों को निमन्तरण देना अनिवार्य है तथा सभी लोगों को उपस्थित होना भी अनिवार्य है। चोरया तथा बोजइया का निश्चित समय प्रीति भोज के दिन घर के वरिष्ठ सदस्य के द्वारा सूचित कर देना होगा। अधिक दूर वाले स्वजाति बन्धु को एक दिन पूर्व भी सूचित किया जा सकता है।

सभी स्वजाति बन्धु समय पर उपस्थित हो जाय तथा निश्चित समय से एक घंटा आशा देखकर भोजन पर बैठा दिया जा सकता है। इस पर किसी की शिकायत नहीं होगी।

किसी जाति के घर पर मृत्यु हो जाने, आकस्मिक दुर्घटना होने, किसी सदस्य के बीमार पड़ने पर किसी के द्वारा सूचना मिलने पर उनके निवास स्थान पर पहुंच कर मदत करनी चाहिए।

मृत्यु के समय शव यात्रा पर पैदल चलेगें तथा अन्तिम संस्कार के बाद सभी उपस्थित स्वजाति बन्धुओं के साथ वापस लौटेंगे। असमर्थ व्यक्ति वाहन का प्रयोग कर सकते हैं।

संघ में निम्नलिखित सामान उपलब्ध है :—

१। थाली— ५०
२। ग्लास— ५०
३। नास्ता प्लेट— ५०
४। जग-- ५
५। कटोरा— १००
६। गमला— ५
७। दाल दान— ५
८। साग दान— ३
९। बड़ा चम्मच— १०
१०। छोटा चम्मच— ६०
११। नाद (बड़ा)— ५
१२। नाद छोटा— ५
१३। टोपिया (बड़ा)--१
१४। टोपिया (छोटा)—१
१५। कड़ाही १
१६। बाल्टी —३ पीतल
१७। कलछुल —३ पीतल
१८। ट्रे स्टील—५
१९। कप—२४
२०। थर्मस—1
२१। परात—२+१=३
२२, गलास ट्रे—१

२३, दरी—४
२४। पातिया—६

उक्त सभी सामान अध्यक्ष एवं सचिव के नाम एक आवेदन पत्र के साथ १००।—अग्रिम राशि जमा करने पर मात्र ४ दिनों के लिये दिया जायगा। पांचवा दिन संध्या तक सामान वापसी का दिन होगा। अगर पांचवे दिन भी सामान वापस नहीं होगा तब पांचवे दिन से प्रतिदिन जमा बिल का २५ प्रतिशत राशि जुर्माना के रुप में देना होगा। यदि कोई व्यक्ति चार दिनों के लिये समान लिया है और एक दिन उपयोग में लाकर दूसरे दिन वापस कर देगा तो उसे २०% प्रतिशत तीसरे दिन १५% प्रतिशत तथा चौथे दिन १०% प्रतिशत का विशेष छुट जमा बिल पर दिया जायगा। शुल्क तथा अग्रिम राशि लेने पर ही सामान निर्गत किया जायगा।

सामान का प्रति जमा नग शुल्क निम्न प्रकार है।

१। थाली—२० पैसा
२। ग्लास—१० पैसा
३। नास्ता प्लेट—१० पैसा
४। जग—५० पैसा
५। कटोरी—१० पैसा
६। गमला—१ रुपया
७। दालदान—१ रु० ५० पैसा
८। समादान १ रु० ५० पैसा
९। बड़ा चम्मच—५० पैसा
१०। छोटा चम्मच—२५ पैसा
११। नाद—१ रु० ५० पैसा
१२। टोपिया (बड़ा) १० रु०
१३। टोपिया (छोटा) ७ रु०—५० पैसा
१४। दरी—२ रु० ५० पैसा
१५। बाल्टी—१ रुपया
१६। कलछुल—५० पैसा
१७। ट्रे—५० पैसा
१८। कप—१५ पैसा
१९। थर्मस—१५।— रुपया

२०। परात — २ रु० ५० । पैसा
२१। ड्राम—२ रु० ५० पैसा
२२। ग्लास ट्रे —५० पैसा
२३। कड़ाही—६ रुपया
२४। पतीया—१ रुपया

संस्था के जो सदस्य उक्त शुल्क देने में असमर्थता जाहिर करेगें उन्हे एक आवेदन पत्र अध्यक्ष या सचिव के नाम से दो सदस्यों के अनुशशा के साथ देने पर शुल्क की आंशक या पूरीं माफी दीं जा सकती है परन्तु १०० ।—रुपया जमानत की राशि जमा करना अनिवार्य होगा ।

संघ के पदाधिकारी की सूचि

१।	श्री जगदीश लाल साहु—	अध्यक्ष
२।	श्री शीतल प्रसाद गुप्ता —	उपाध्यक्ष
३।	श्री व्यास मुनि गुप्ता—	सचिव
४।	श्री ईश्वर लाल साहु—	सह सचिव
५।	श्री भोला नाथ गुप्ता—	कोषाध्यक्ष
६।	श्री कृष्ण कुमार गुप्ता—	उप-कोषाध्यक्ष
७।	श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता—	प्रचारमंत्री
८।	श्री शतीशंकर साहू—	कार्यकारिणी अध्यक्ष
९।	श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता—	अंकेक्षक
१०।	श्री जवाहर लाल गुप्ता-	भंडार पाल
११।	श्री जवाहर लाल गुप्ता—	कार्यकारिणी सदस्य
१२।	जितेन्द्र कुमार गुप्ता—	,, ,,
१३।	श्री नरेश प्रसाद गुप्ता—	,, ,,
१४।	श्री अशोक लाल—	कार्यकारिणी सदस्य
१५।	श्री गंगा राम गुप्ता—	,, ,,
१६।	श्री सरोज कुमार गुप्ता -	,, ,,
१७।	श्री राजेन्द्र प्रसाद—	,, ,,
१८।	श्री शिवशंकर गुप्ता—	,, ,,
१९।	श्री अमरनाथ प्रसाद —	,, ,,
२०।	श्री जय शंकर प्रसाद गुप्ता—	,, ,,
२१।	श्री शिव शंकर साहा—	,, ,,
२२।	श्री सत्यदेव प्रसाद गुप्ता—	,, ,,

२३। श्री सूरज प्रसाद गुप्ता - " "
२४। श्री भगवान साहु " "

संघ के सदस्यों की सूचि

१। श्री व्यास मुनि गुप्ता—२७ दि.नदीप सहाय पथ; मेकी रोड, अपर बाजार रांची। 2232929 3082229(R)

२। श्री ईश्वर लाल साहु एम० एल० मार्केट परिसर, महावीर चौक, अपर बाजार, रांची। 2201980(R)

३। श्री जय शंकर प्रसाद गुप्ता, प्यादा टोली, महावीर चौक, रांची। 2313097(R) 2071148(S)

४। श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता—प्यादा टोली, महावीर चौक, अपर बाजार, रांची। 2307475 (R)

५। श्री जवाहर लाल गुप्ता, राज मिष्टान भंडार, महावीर चौक, अपर बाजार, रांची। 2307278, 2310465 (R)

६। श्री शीतल प्रसाद गुप्ता आधुनिक मिष्टान भंडार अपर बाजार, महावीर चौक, रांची।

७। श्री मुन्नु माव दुर्गा प्रसाद गुप्ता बुधइ गली, अपर बाजार, महावीर चौक, रांची। 2310865(R)

८। श्री अयोध्या प्रसाद गुप्ता अपर बाजार, महावीर चौक, रांची।

९। श्री नरेश प्रसाद गुप्ता—मेकी रोड, अपर बाजार, रांची। 2313035(R)

१०। श्री अर्जुन ~~नाथ प्रसाद~~ द्वारा - श्री अमरनाथ प्रसाद इन्द्रपुरी मार्ग—७ रातू रोड पो०—कटहल गोदा, रांची।

११। श्री गंगा राम गुप्ता यू० पी० चाट, श्रद्धानन्द रोड, अपर बाजार, रांची।

१२। श्री जगदीश लाल साहु। श्री कृष्ण कुमार गुप्ता कचहरी रोड, सरकुलर रोड, रांची। ~~207889 (R)~~ 2360143(S) 2360143(O)

१३। श्री गोपाल लाल। अशोक लाल कचहरी रोड, सरकुलर रोड, रांची। 2260...

१४। श्री बसन्त लाल गुप्ता रेडियम रोड, रांची।

१५। श्री परमेश्वर साहु प्रकाश होटल सरकुलर रोड, रांची।

१६। श्री सरोज कुमार गुप्ता रंजीत होटल के बगल गली में कचहरी चौक रांची। ~~2090541(S) 2074480(O)~~ 2150247(R)

१७। श्री सुबोध कुमार साहा कल्पना कला मंदिर कचहरी चौक, रांची। 3002461(R)

१८। श्री मोहन लाल गुप्ता क्वाटर नं० १, विरगा टोली। करम टोली, रांची। 3151831(R)

१९। श्री राजेन्द्र प्रसाद, क्वाटर नं० ९६ मगड़ा टोली रांची। ~~3123...~~ 2562167

२०। श्री सती शंकर साहु, शंकर मिष्टान भण्डार, मेन रोड, रांची। 2200325
1 ... ...

२१। श्री मुरली प्रसाद गुप्ता चाय दुकान चर्च रोड, रांची।

२२। श्री लक्ष्मण प्रसाद किराना दूकान थड़पखना, हजारीबाग रोड, रांची। 308

२३। श्री शिव शकर साहु खिलौना विकास केन्द्र कोकर, रांची।

२४। श्री भोला नाथ गुप्ता पान दुकान शहीद चौक, रांची। 201025 (S)

२५। श्री शिव शकर गुप्ता संजय मिष्टान भडार न्यू मार्केट, रातू रोड रांची।

२६। श्री सत्यदेव प्रसाद गुप्ता, शास्त्री चौक, रातु रोड, रांची।

२७। श्री अमर नाथ प्रसाद इन्द्रपूरी मार्ग नं० ६ रातू रोड, पो० कटहल गोन्दा रांची। 2280732 (R)

२८। श्री सुशील कुमार साहा आर्यपूरी, रातू रोड, रांची।

२९। श्री सूरज प्रसाद गुप्ता ब्लाक नं० ११ क्वाटर न०-६ युनिवर्सिटी कलोनी, बरियातु, रांची।

३०। श्री जय कृष्ण कुमार क्वाटर नं० सी० डी०। १९३/२ सेक्टर २ धुर्वा-रांची-४

३१। श्री तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता क्वाटर नं० डी० टी० १५८५ धुर्वा, रांची-४

३२। श्री भगवान साहु, बस स्टेण्ड, धुर्वा, रांची-४

३३ : श्री रामेश्वर प्रसाद तरुण इलेक्ट्रोनिकम तुपुदाना, हटिया, रांची।

३४। श्री ओम प्रकाश गुप्ता सिराजुद्दीन गली, अपर बाजार रांची।

३५। श्री कामता प्रसाद पो० कमड़े मोकाम पंडरा, रांची।

स्वगति बन्धुगण,

अपने संघ की स्थापना सन् १९८८ ईस्वी में हुई थी। जिसमें श्री महेश साहु को अध्यक्ष चुना गया था तथा बैजनाथ साहु, श्री मोती लाल साहु, श्री लुटू साहु, श्री राम सुन्दर साहु का विशेष योगदान रहा। संघ की पुन: स्थापना अध्यक्ष श्री महेश साहु के निधन के बाद १०.८ ८६ को किया गया तथा अपने सभी बन्धुओं के विशेष परिश्रम तथा सहयोग से सुचारू रूप से संघ प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। इस बीच हमलोग कई छोटे-छोटे आपस के अन्दर तथा बाहरी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया। अपने समाज की एक असहाय वृद्ध महिला को कुष्ट रोग से ग्रसित थी उसे राधा राणी कुष्ट निवारण केन्द्र में भरती करवाया गया जिसका सारा खर्च अपने कार्यकारिणी के सदस्य श्री शिव प्रसाद गुप्ता जी वहन किये तथा उसे ले जाने तथा भरती कराने में श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी का पूर्ण सहयोग किया, संघ उनलोगों का आभारी हैं।

अब तक संघ की ६ आ म, २ विशेष तथा १४ कार्यकारिणी की बैठके हुई जिसमें समाज में जागृति लाने, अनुशासन कायम करने तथा शादी विवाह आदि

उत्सवों के काम आने वाले सामग्रियों का संग्रह करने सम्बन्धी निर्णय लिये गये।

खुले दिल से लोग सहयोग दिये तथा निम्नलिखित सामानों का संग्रह हुआ।

क्र० सं०	सामान का नाम	दाता का नाम	मूल्य
१	स्टील थाली—५०	श्री जयाङ्कर लाल गुप्ता	१५२२/--५०
२	स्टील ग्लास—५०	,,	५२५/—५०
३	स्टील नास्ता प्लेट—५०	श्री सती शंकर प्रसाद	४५६—
४	स्टील कटोरी—५०	श्री कृष्णा कुमार गुप्ता	२९९/—
	,, ५०	श्री शीतल प्रसाद गुप्ता	२९९/—
५	गमला—५	श्री व्यास मुनि गुप्ता	११२/७०
६	दालदान—५	श्री ईश्वर लाल साहु	२२०/५०
७	साग दान—३	श्री नरेश प्रसाद गुप्ता	१४१/—
८	बड़ा चम्मद—१०	श्री सुशील कुमार साहा	९५/—
९	छोटा चम्मच—५ दर्जन	श्री लक्ष्मण प्रसाद	२१०/—
			——२/
१०	नाद बड़ा—४	श्री परमेश्वर साहु	३७०/—७०
११	नाद छोटा—४	श्री भोला नाथ गुप्ता	३०५/३०
१२	दोङ्गीपा ढक्कन के साथ-२	श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता	१०५६/—
१३	दरी २ कड़ाही—१	श्री जय शंकर प्रसाद गुप्ता	१४५८/—
१४	पातीया--६	श्री मुन्नू साहु	५०४/—
१५	पीतल परात-२	श्री रामेश्वर प्रसाद	२५८/—
१६	पीतल बाल्टी-३	श्री शिव शंकर गुप्ता	२५९/--
१७	पीतल कलछुल-३	श्री शिव शंकर गुप्ता	७३/—
१८	स्टील ट्रे--५	श्री सुबोध कुमार साहा	१७५/—
१९	स्टील चापकप--२ दर्जन	श्री जय कृष्ण कुमार	२८८/—
२०	स्टील जग--५	श्री भगवान साहु	८७/५०—
		श्री तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता	८७/५०—
२१	बड़ा थर्मस--१	श्री अयोध्या प्रसाद गुप्ता	५५०/—
२२	पीतल परात--१	श्री मुरली प्रसाद गुप्ता	७५/—
२३	ड्राम--२	श्री सरोज कुमार गुप्ता	२२०/—
		श्री सुरज प्रसाद गुप्ता	२२५/—
२४	ग्लास ट्रे--१	श्री अर्जुन प्रसाद गुप्ता	७५/—

२५	नाम लिखने का मशीन	संघ द्वारा	१५०/—
२६	अलुमिनियम ट्रे बड़ा	श्री गोपाल लाल	४५१/—
२७	स्टील बड़ा ट्रंक तथा ताला—संघ द्वारा—		१, १७९/—
२८	१९८६ में खरीदा गया— २ दरी संघ--		२५०/—
			कुल—११, ९७८/२०

लोगों के दिये गये वचन के मुताबिक सारा सामान रू० : १०.१ ९८/२० खरीद लिया गया परन्तु कुछ सदस्यगण अभी तक पूर्ण रकम संघ में जमा नहीं किये है। उम्मीद है वे स्वयं बाकी रकम जमा कर देगें।

इसके अलावा निम्नलिखित सदस्यगण नगद राशि भी प्रदान किये :—

१	श्री जवाहर लाल गुप्ता	१०१/—
२	श्री जगदीश लाल गुप्ता	१०१/—
३	श्री शिव शंकर साहु	१०१/—
४	श्री मोहन लाल गुप्ता	१५०/—
		कुल रू०—४५३/

बिहार मिष्टाण भोजन विक्रेता संघ मेकी रोड, राँची के भवन में होने वाले आम बैठक के लिये दिये जाने वाला २१/--चन्दा का भुगतान तीन बैठक का श्री जवाहर लाल गुप्ता जी दिये। इस तरह हमलोगों के पास बैंक में २,१०४) २०—रूपया जमा है।

संघ के सभी सदस्यों की तरफ से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सहयोग मिला है तथा ऐसे लोग जो मेरे संघ में सम्मिलित नहीं हुए तथा वे बराबर कटाक्ष करते रहे, संघ उसे अपने सही राह से विचलित नहीं होने देने के लिये आभारी हैं।

जो सज्जन का आर्थिक सहयोग रहा है तथा स्मरण नहीं रहने के कारण नाम अंकित नहीं किया जा सका है उसके लिये क्षमा चाहूँगा।

आशा है कि भविष्य में भी भरपूर सहयोग मिलता रहेगा जिससे अपना भवन निर्माण सम्बन्धी अधूरे कार्य पूरे हो सकेगें। तथा केन्द्रीय और प्रान्तीय स्तर में संघ का नाम आ सके।

जय हिन्द,

सचिव,

का० कु० वैश्य हलवाई संघ, राँची।

वर्ष १०-८-८६ से ३१-२-८७ का आय व्यय

रकम	जमा खाते	रकम	नाम खाते
४९३)	सदस्यता शुल्क खाते जमा	८,१४६)	बर्तन खरीद खाते नाम
९६०)	मसिक शुल्क खाते जमा	१, ९६२)	पतिया, दरी, कड़ाही खरीद खाते नाम
९, ६८३) २९	विशेष शुल्क खाते जमा	६३)	भवन भाड़ा खाते नाम
		२४५)	छपाई खर्च खाते नाम
		४०)	खुदरा खर्च खाते नाम
		६७९) २०	बचा रकम
११, १४६) २०		११, १४६) २०	

वर्ष १-४-८७ से ३१-३-८८ का आय [redacted]

४, ११७) ७६
६७९) २० बचत वर्ष १०-८-८६ से ३१-३-८७
१, २८०) मासिक शुल्क खाते जमा
१, ६०९) ०१ विशेष शुल्क खाते जमा
५२४) ३५ वर्त्तन किराया खाते जमा
२१) सदस्यता शुल्क खाते जमा
४) २० बैंक इन्टरेस्ट खाते जमा
४, ११७) ७६

Cut

४, ११७) ७६

४, ११४) ७०
२, १०४) २० बैंक खाते नाम
१, ६३०) वर्त्तन खरीद खाते नाम
१४७) मेडिकल मदद खर्च खाते नाम
१४०) ५० खुदरा खर्च खाते नाम
३०) स्टेशनरी खर्च खाते नाम
६३) भवन भाड़ा खाते नाम
४, ११४) ७०

३) ०६ बचत
४, ११७) ७६

कोषा अध्यक्ष
श्री भोला नाथ गुप्ता